

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 356]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 दिसम्बर 2023—अग्रहायण 10, शक 1945

विधि (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 दिसम्बर 2023

फा.क्र. 21 (1)-2023-चार-वि. निर्वा.-163.- भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 434-म.प्र.-वि.स.-2023 (1), दिनांक 1-12-2023, सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है :-

राजेश कुमार कौल, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110 001

नई दिल्ली, दिनांक 1 दिसम्बर, 2023-10 अग्रहायण, 1945 (शक)

अधिसूचना

संख्या 434/म.प्र.वि. सं./2023 (1)- लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग, एतद्वारा समय-समय पर यथासंशोधित, अपनी अधिसूचना संख्या 434/म.प्र.वि. सं./2023 (1), 19 अक्तूबर, 2023, के द्वारा अधिसूचित मौजूदा सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के अतिरिक्त नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा-विनिर्दिष्ट सरकारी अधिकारियों को उक्त सारणी के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट मध्य प्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के रिटर्निंग अधिकारियों की, तालिका के स्तम्भ (1) में उल्लिखित विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रचलित सामान्य निर्वाचन में मतगणना के कार्यों के निष्पादन में सहायता करने के लिए, सहायक रिटर्निंग अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है:-

सारणी

विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम (1)	सहायक रिटर्निंग ऑफिसर (2)
21. भाण्डेर (अ.जा.)	5-सहकारिता निरीक्षक, विकास खण्ड, भाण्डेर
95. पाटन	5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, पाटन, जबलपुर
97. जबलपुर पूर्व (अ.जा.)	5-सहायक संचालक, पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण, जबलपुर
98. जबलपुर उत्तर	5-सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, जबलपुर
99. जबलपुर केंद्र	5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, शहपुरा, जबलपुर 6-क्षेत्र संयोजक, आदिवासी विकास, जबलपुर
100. जबलपुर पश्चिम	5-उप संचालक, उद्यानिकी, जबलपुर 6-सहायक संचालक, महिला एवं बाल विकास, जबलपुर
101. पनागर	5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, पनागर, जबलपुर
102. सिहोरा (अ.ज.जा.)	5-मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, सिहोरा, जबलपुर

2. उपर्युक्त अधिकारी उक्त विधान सभा क्षेत्रों से प्रचलित सामान्य निर्वाचनों 2023 में मतगणना प्रक्रिया पूरी होने के तुरन्त बाद सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रूप में कार्य नहीं करेंगे।

आदेश से,

हस्ता./-

(अमित कुमार)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110 001

New Delhi, Dated: 1st December 2023–10 Agrahayana, 1945 (Saka)**NOTIFICATION**

No. 434/MP-LA/2023 (1) – In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission, hereby, appoints the officers of the Government specified in Column (2) of the Table below, as the Assistant Returning Officers, in addition to the existing Assistant Returning Officers notified vide Commission's Notification No. 434/MP-LA/2023(1), dated 19th October, 2023, as amended from time to time, to assist the Returning Officers of the Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh, as specified in the Column (1) of the said Table, for the execution of their works with respect to the Counting of votes, for the ongoing General Elections from the Assembly Constituencies mentioned in Column (1) of the Table.

TABLE

No. & Name of Assembly Constituency (1)	Assistant Returning Officer (2)
21.Bhander (SC)	5-Co-operative Inspector, Development Block, Bhander
95.Patan	5-Chief Executive Officer Janpad Panchayat, Patan, Jabalpur
97.Jabalpur Purba (SC)	5-Assistant Director, Backward Class & Minorities Welfare, Jabalpur
98.Jabalpur Uttar.	5-Assistant Commissioner, Tribal Development Department, Jabalpur
99.Jabalpur Cantt	5-Chief Executive Officer Janpad Panchayat, Sahpura, Jabalpur
	6- Area Coordinator, Tribal Development, Jabalpur
100.Jabalpur Paschim	5-Deputy Director, Horticulture, Jabalpur
	6-Assistant Director, Women and Child Development, Jabalpur
101.Panagar	5-Chief Executive Officer Janpad Panchayat, Panagar, Jabalpur
102.Sihora (ST)	5-Chief Executive Officer Janpad Panchayat, Sihora, Jabalpur

2. The above Officers shall cease to function as Assistant Returning Officers immediately after the completion of process of Counting of Votes in the ongoing General elections, 2023 from the abovementioned assembly constituencies.

By order,
Sd./-
(AMIT KUMAR)
Secretary,
Election Commission of India.